03.01.2023 पत्रावली पेश हूई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। कैविट कर्ता एडवोकेट उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा मूल अपील पर ही बहस करने हेतु सहमत होने पर बहस मूल अपील पर सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि कैविट कर्ता प्रकरण में पक्षकार नहीं है। पिता जीवत रहते हुये पुत्र को कैविट पेश करने का अधिकार नहीं है। इन्टरलॉकिंग सड़क एवं पहले से बने हुये पी.सी.सी. रास्ते एवं खुररे को छूपाकर अपीलान्ट कि भूमि में नया रास्ता बनाना चाहते है। मौके पर अपीलान्ट का मकान बना हुआ है। जो लगभग 60/70 वर्ष पुराने बने हुये है। पटवारी हल्का से मिलकर गलत रिपोर्ट करवाकर तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर में पेश करवायी गई है। जल्दबाजी में विधिक प्रक्रिया के विपरीत दिनांक 27.12.2022 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा निर्णय पारित किया गया। जो विधि पूर्वक ना होने से निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नम्बर 219 में अतिक्रमण चिन्हित् करने से पूर्व भूमि खसरा नम्बर 218 व 222 कि सीमा कायम नहीं होती तब तक खसरा नम्बर 219 में अतिक्रमण सही चिन्हित् नहीं किया जा सकता एवं पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश कि गई है जिसमें रिपोर्ट के पीछे नजरी–नक्शा बनाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:05:49 IST
Reason: SelfAttested

...त जिला कलक्टर
... जिला मजिस्ट्रेट
...थाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है जिसमें अतिक्रमण का रकबा नहीं अंकित किया है एवं ना ही अन्य दिशाओं के माप का भी अंकन नहीं है। अपीलान्ट द्वारा रास्ते कि भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलान्ट गरीब व्यक्ति है एवं इसी बात का फायदा उठाकर हरान व परेशान किया जा रहा है। अतः अपील–अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मुकदमा नम्बर 13/2022 उनवानी सरकार बनाम बीरबल आदेश दिनांक 27.12.2022 निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस कैविट प्रस्तुत कर्ता के वकील ने बताया कि भूमि खसरा नम्बर 219 रकबा 0.03 है0 किस्म गैर मूमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। कैविट प्रस्तुत कर्ता बीरबल पुत्र आनन्दी लाल जाति यादव द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। खसरा नम्बर 222 जो कैविट प्रस्तुत कर्ता कि खातेदारी का है। और उसी में निर्माण किया है एवं किया जा रहा है। बीरबल पुत्र कानाराम द्वारा अतिक्रमण कर चालू रास्ते को अवरूध कर दिया है। इस बाबत् तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर अतिक्रमण हटवाने के आदेश जारी किये है। कैविट प्रस्तुत कर्ता के पिता वृद्ध है। भूमि खसरा नम्बर 222 मेरी खातेदारी भूमि है। मौके पर अगर हमारे द्वारा अतिक्रमण पाया जाता है। तो चिन्हित् करने पर हम स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिये सहमत है। रास्ता सार्वजनिक है एवं आवागमन चालू है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का कि रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि बीरबल पुत्र कानाराम जाति अहीर निवासी ढ़ाणी कांकड़वाली तन ग्राम डेहरावाली द्वारा भूमि खसरा नम्बर 219 कुल रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मू. रास्ता में 0.004 है0 में पक्की दिवार बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया है। खसरा नम्बर 222 जो बीरबल पुत्र आनन्दी लाल कि खातेदारी भूमि है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश कि गई है। उसके पीछे जो नजरी–नक्शा बनाया गया है। जिसमें अतिक्रमण कहां एवं कितने रकबे कर रखा है सीमा दर्शात हुये अंकित नहीं है एवं ना ही चारो दिशाओं का माप अंकित किया गया है। रिपोर्ट तैयार करते वक्त हल्का पटवारी द्वारा चारों सीमाओं का नाम अंकित नहीं करते हुये जो नजरी–नक्शा तैयार किया गया है व भारी त्रृटि कि श्रेणी आता है। इसी आधार पर तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित किये जाने से निर्णय में संशय पैदा करता है। उभय पक्ष द्वारा बताया कि अगर हमारे द्वारा कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने में हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। इस आधार पर अपील–अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2022 अपास्त किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] अपील रिमाण्ड कि जाकर आदेश दिया जाता है कि गै.मू. [illegible] नम्बर 219 कि सीमा तय किये जाने से पूर्व [illegible] 218 व खसरा नम्बर 222 कि खसरा नम्बर 2[illegible] लगती हुई सीमा तय कि जावें। इसके पश्चात भूमि खसरा नम्बर 219 पर किसी [illegible]ारा भी अतिक्रमण किया जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 219 से संबंधित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट
(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:05:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कोई आवेदन या प्रार्थना–पत्र पैन्डिग हो तो सभी को एक साथ सुनवाई का अवसर दिया जाकर निस्तारण किया जावे।

पारित निर्णय कि पालना हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर के साथ निर्णय कि प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:05:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख आ[illegible] जो इस हुक्म [illegible] तामील में जारी
13-1-23	वकील केवियट प्रस्तुत कर्ता द्वारा बीरबल कि ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली रिकार्ड से तलब होकर पेश हुई। वकील केवियट प्रस्तुत कर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 3-1-2023 को पारित निर्णय के पेज नम्बर 3 के अन्तिम पैरा में तहसीलदार खण्डेला सहवन से लिखा गया जबकि इसके स्थान पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर लिखा जाना चाहिए था। अतः निर्णय में तहसीलदार खण्डेला के स्थान पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर लिखा जाकर दुरस्ती कि जावें। वकील केवियट कर्ता को सुना गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 3-1-2023 को पारित निर्णय के अन्तिम पैरा की प्रथम लाईन मे तहसीलदार खण्डेला लिखा गया जबकि खण्डेला की जगह श्रीमाधोपुर लिखा जाना चाहिए था जो एक लीपिकीय त्रुटि होना प्रतीत होता है एवं टाईपिंग करते समय सहवन से लिखा गया है। जिसको दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय के अन्तिम पैरा की [illegible] तहसीलदार खण्डेला की जगह तहसीलदार श्रीमाधोपुर लाल स्याही [illegible] दुरस्त किये जाने के [illegible] दिये जाते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2024.02.24 11:05:49 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	

Scanned with OKEN Scanner